न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक II/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2017/4576 /2017 जिला--

1. मोहन पुत्र श्री हजारी माली
2. मुरारीलाल पुत्र श्री हजारी माली
3. रामकिशन पुत्र श्री हजारी माली

निवासीगण– ग्राम कनापुर तहसील व जिला – श्योपुर (म.प्र.)

-- आवेदकगण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.)
2. प्रभूलाल पुत्र श्री लोहडक्या मेहर निवासी – कनापुर तहसील बडोदा जिला – श्योपुर (म.प्र)

-- अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/2016–17/अ–68 में पारित आदेश दिनांक 14.08.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, तहसीलदार तहसील श्योपुर द्वारा पटवारी ग्राम कनापुरा के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। प्रतिवेदन में पटवारी कनापुरा द्वारा यह उल्लेख किया है कि ग्राम कनापुरा की भूमि सर्वे क्रमांक 279 रकवा 0.526 है0 नोईयत नाला भूमि पर अतिक्रमण जोत कर आवेदकगण द्वारा किया गया है।

2– यहकि, उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/2016–17/अ–68 पंजीबद्ध कर सूचना पत्र जारी किया गया। जिसपर आवेदकगण की ओर से अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर अपना जबाव प्रस्तुत किया तथा बताया कि भूमि सर्वे क्रमांक 279 रकवा 0.596 है0 नोईयत नाला ग्राम पटवारी हल्का 50 द्वारा तहसील श्योपुर का असत्य प्रेषित किया गया है जो निरस्ती योग्य है। नोटिस में प्रेषितकर्ता ने ना तो नक्शे में नाला बताया है और न ही कुल रकवे का मिन नं. दर्शाया है

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निग./श्योपुर/भू.रा./2017/4576

मोहन आदि विरुद्ध म0प्र0 शासन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ...
03/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी , जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक- 7/2016-17/अ-68 में पारित आदेश दिनांक 14/08/2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 23/7/19 को कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 03/6/19 सदस्य	

प्रेषित किया गया है जो निरस्ती योग्य है। ... दर्शाया है

नक्शे में नाला बताया है और न ही कुल रकबे का मिन न